विधान सभा सत्र दिसम्बर 2016 –अतारांकित प्रश्न क्रमॉक 1416
द्वारा श्री दिनेश राय, मा. विधायक
प्रश्नांश (क) एवं (ग) के उत्तर में वर्णित परिशिष्ट (अ)

परिशिष्ट (अ)

1- जबलपुर संभाग-1 के अंतर्गत अधोलिखित तीन कंपनी पंजीयत/नामांकित हैं, जिनमें श्री शंकर मंछानी डायरेक्टर है :-

1. मे. श्रीजी प्रमोटर्स एंड डेव्हलपर्स, प्रा. लिमिटेड, ब्लॉक एफ, जे.डी.ए. स्कीम-11 फेस-2, शताब्दीपुरम, एम.आर. 4, विवेकानंद वार्ड, जबलपुर, टिन 23289026884,

2. ओयसिस बिल्डमार्ट, प्रा. लिमिटेड, ब्लॉक एफ, जे.डी.ए. स्कीम-11 फेस-2, शताब्दीपुरम, एम.आर4, विवेकानंद वार्ड, जबलपुर, टिन 23939026819,

3. माँ भवानी डेव्हलपर्स एंड प्रमोटर्स, मुस्कान प्लाजा, शताब्दीपुरम,जबलपुर, नामांकन क्रमांक 81189000187,

2- मे. श्रीजी प्रमोटर्स एंड डेव्लपर्स, प्रा. लिमिटेड, के विरूद्ध कुमारी साधना ओझा, रघुनाथ कॉलोनी, लखनादोन एवं शशिकांत ओझा, अवधपुरी, ग्वारीघाट, रोड़, जबलपुर द्वारा संयुक्त रूप से एकमात्र शिकायत की गई थी, जिसमें उनके द्वारा फ्लेट की रजिस्ट्री के समय उक्त कम्पनी के बिल्डर श्री शंकर मंछानी को रसीद क्रमांक 637 दिनांक 22.11.2014 से वेट एवं सर्विस टैक्स के रूप में रू. 2,61,300/- का भुगतान किया जाना दर्शाते हुए, यह जानकारी चाही गई थी कि उक्त भुगतान की गई राशि में से वेट की कितनी राशि जमा की गई है, क्योंकि उक्त बिल्डर द्वारा उन्हें वेट की राशि की जानकारी पृथक से नहीं दी गई थी।

3- उक्त शिकायत में विभाग से यह जानकारी चाही गई थी कि विभाग, शिकायकर्ताओं को चालान आदि दस्तावेज उपलब्ध करावें, जिसमें फ्लेट के लिए चुकाए गए वेट की राशि का स्पष्ट उल्लेख हो।

4- इस शिकायत का निराकरण वाणिज्यिक कर अधिकारी, निर्माण वृत्त, जबलपुर वृत्त 2 द्वारा पत्र क्रमांक 699 दिनांक 01.08.2016 द्वारा किया जा चुका है। चूंकि, उक्त रसीद का दिनांक वित्त वर्ष 2014-15 से संबंधित है और इस अवधि का कर निर्धारण प्रक्रिया के अंतर्गत है, जिसमें शिकायत के तथ्य पर विचार किया जा रहा है। फ्लेट वाईज विक्रय की जानकारी त्रैमासिक विवरण पत्रों में प्रदर्शित नहीं होती है, अत: कर निर्धारण सम्पन्न होने के पश्चात ही शिकायतकर्ता को उनके तथ्यों का समाधान किया जाना संभव हो सकेगा।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

23/11/16
संचालक
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश
इंदौर

विधान सभा सत्र दिसम्बर 2016 –अतारांकित प्रश्न कमॉक 1416
द्वारा श्री दिनेश राय, मा. विधायक
प्रश्नांश (ख) के उत्तर में वर्णित परिशिष्ट (ब)

परिशिष्ट 'ब'
(1)

डायरेक्टर, बिल्डर मंछानी की कंपनियों पर आरोपित कर एवं शासति एवं उनके द्वारा जमा की गई कर राशि का विवरण इस प्रकार है।

i. श्रीजी प्रमोटर्स एण्ड डेव्हलपर्स प्रा.लि., ब्लॉक F, जे. डी. ए. स्कीम- 11, फेस- 2, शताब्दी पुरम, एम.आर. 4, विवेकानंद वार्ड, जबलपुर, टिन 23289026884

वर्ष	वेट , ब्याज एवं शास्ति की बकाया राशि			कुल बकाया में से वसूल की गयी राशि	वेट , ब्याज एवं शास्ति की शेष बकाया राशि
	कर	ब्याज एवं शास्ति	कुल		
2007 से 2013 तक	68,21,682/-	61,67,706/-	1,29,89,388/-	6,82,170/-	1,23,07,218/-
2013-14	2,06,939/-	88,102/-	2,95,041/-	29,510/-	2,65,531/-

वर्ष 2007 से 2013 तक की ब्लॉक अवधि की शेष बकाया राशि रु. 1,23,07,218/- में से वेट सम्बंधी शास्ति की बकाया राशि रु. 61,67,706/- है, जिसके सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 18510 / 2015 में दिनांक 04.04.2016 को आदेश पारित किया गया है कि शास्ति की राशि के लिये अपील की सुनवायी, पूर्व भुगतान के बिना की जाये तथा अपील प्रकरण के निर्वर्तन तक शास्ति की राशि की वसूली हेतु कोई बलात् कार्यवाही (Coercive steps) न की जाये। वेट की शेष बकाया राशि के लिये नियमानुसार कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। वर्ष 2013-14 की शेष बकाया राशि की वसूली नियमानुसार की जा रही है। उक्त दोनों अवधियों के वेट प्रकरणों में पृथक-पृथक अपीलें प्रस्तुत हैं।

ii.

ओयसिस बिल्डमार्ट प्रा. लि., ब्लॉक F, जे. डी. ए. स्कीम- 11, फेस- 2, शताब्दी पुरम, एम.आर. 4, विवेकानंद वार्ड, जबलपुर,

टिन 23939026819

वर्ष	वेट , ब्याज एवं शास्ति की बकाया राशि			कुल बकाया में से वसूल की गयी राशि	वेट , ब्याज एवं शास्ति की शेष बकाया राशि
	कर	ब्याज एवं शास्ति	कुल		
2007 से 2013 तक	5,85,280/-	3,61,284/-	9,46,564/-	58,530/-	8,88,034/-

शेष बकाया राशि रु. 8,88,034/- की वसूली हेतु अचल सम्पत्ति की कुर्की की जाकर नियमानुसार अन्य समस्त कार्यवाहियाँ भी की जा रही हैं।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

iii. मॉ भवानी डेव्हलपर्स एण्ड प्रमोटर्स, मुस्कान प्लाजा, शताब्दी पुरम, जबलपुर, नामांकन क्रमांक 81189000187

(2)

वर्ष	वेट , ब्याज एवं शास्ति की बकाया राशि			कुल बकाया में से वसूल की गयी राशि	वेट , ब्याज एवं शास्ति की शेष बकाया राशि
	कर	ब्याज एवं शास्ति	कुल		
2007 से 2013 तक	71,13,241/-	1,42,26,482/-	2,13,39,723/-	7,11,327/-	2,06,28,396/-

वर्ष 2007 से 2013 तक की ब्लॉक अवधि की शेष बकाया राशि रु. 2,06,28,396/- में से वेट सम्बंधी शास्ति की बकाया राशि रु. 1,42,26,482/- है, जिसके सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 19477 / 2015 में दिनांक 26.11.2015 को आदेश पारित करते हुये शास्ति की राशि के 10 प्रतिशत भुगतान से छूट दी गयी | बकायादार द्वारा वेट की बकाया राशि में से 10 प्रतिशत की राशि जमा कर अपील प्रस्तुत की गयी है | माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि अपीलीय प्राधिकारी, शास्ति की राशि के 10 प्रतिशत के पूर्व भुगतान पर बिना जोर दिये नियमानुसार अपील की सुनवायी करते हुये निर्वर्तन करें तथा अपील के निर्वर्तन तक शास्ति की बकाया राशि की वसूली हेतु कोई बलात् कार्यवाही (Coercive steps) न की जाये | वेट की शेष बकाया राशि के लिये अचल सम्पत्ति कुर्क की जाकर नियमानुसार वसूली की कार्यवाहियाँ की जा रही हैं | इस अवधि के वेट प्रकरण में अपील प्रस्तुत है, किन्तु स्थगन जारी नहीं है |

23/11/16

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

संचालक
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश
इंदौर